सही दिशा में मोदी सरकार की कश्मीर नीति

मोदी सरकार ने अपने कामकाज का आगाज कश्मीर के मसले से ही किया है। कश्मीर को लेकर चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी और तमाम नेताओं ने देश की जनता से कई वायदे किये थे। चूंकि अब सरकार बन चुकी है कि ऐसे में अब उन तमाम फैसलों पर अमल का वक्त है। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने वाला प्रास्ताव संसद में पारित करवाकर मोदी सरकार ने कश्मीर पर अपनी नीति और नीयत दोनों का खुलासा कर दिया है। मोदी सरकार के गठन के तुरंत बाद विपक्ष ने लोकतंत्र का हवाला देते हुए राज्य में तत्काल चुनाव के लिए दबाव बनाया लेकिन गृहमंत्री अमित शाह कश्मीर की वास्तविक स्थिति से संसद के दोनों सदनों को अवगत करवाते हुए सर्वसम्मति बनाने में कामयाब हो गए। कश्मीर में शांति बहाली और पाक को अलग-थलग करना मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल की प्राथमिकताओं में शुमार था। इस बार एक माह में उठाए गए कदमों से साफ है कि सरकार का रवैया और सख्त होगा।

दूसरे कार्यकाल में सरकार कश्मीर को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शाह को गृहमंत्री बनाकर मोदी ने यह भी संकेत दे दिया है कि वे कश्मीर को लेकर कुछ नया कर रहे हैं। राज्य में परिसीमन को लेकर हालांकि सरकार ने आधिकारिक रूप से पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन इसके ज़रिये पार्टी वहां के जनसांख्यिकी ढांचे में बदलाव और गैर कश्मीरी मुख्यमंत्री का रास्ता खोल सकती है। साथ ही धारा 370 और अनुच्छेद 35 की समीक्षा भी कर सकती है। ऐसे संकेत आने लगे हैं।

आम चुनावों से पहले जारी भाजपा के ृ'संकल्प पत्र' के मुताबिक मोदी के 'निर्णायक नेतृत्व' ने पिछले पांच सालों में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों में 'मौलिक बदलाव' लाया है और उनकी सरकार अगले पांच सालों में आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाएगी।

राज्यसभा में जहां मोदी सरकार का बहुमत नहीं है वहां भी तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे घोर भाजपा विरोधी दलों तक ने आखिर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने को मंजूरी दे दी। उसके पहले अमित शाह ने आश्वस्त किया कि चुनाव के लिए अनुकूल हालात होते ही वहां लोकतान्त्रिक प्राक्रिया बहाल कर दी जायेगी। उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि चुनाव का कार्यक्रम चुनाव आयोग निश्चित करेगा जिसे केंद्र सरकार बिना संकोच किये स्वीकार कर लेगी। जैसे संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक इस साल के अंत तक वहां नई विधानसभा गठित कर दी जायेगी। फिलहाल निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्राक्रिया पर भी विचार हो रहा है।

मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आरक्षण के लाभ से जुड़े जो तीन फैसले लिए हैं। उसमें सबसे खास ये है कि अब इंटरनेशनल बार्डर पर पर रहने वाले लोग यानि कि जम्मू, कठुआ और सांबा में रहने वाली आबादी, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शैलिंग का दंश झेल रही है, उसे सरकारी नौकरियों के आरक्षण में 3 प्रातिशत का लाभ मिलेगा। जोकि इसके पहले सिर्फ लाइन आफ कंट्रोल पर रहने वाली आबादी को मिलता था, लेकिन अब बात बराबरी की हो गई। इसके अलावा एससी को 8 फीसदी और एसटी को 10 फीसदी पदोन्नति में आरक्षण को लाभ मिलेगा, जो पहले नहीं मिलता था। पूरे राज्य में 10 फीसदी आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा, जैसे देश के बाकी हिस्सों को मिलेगा। सरहद के पास लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने का सरकार का ये कदम किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है।

दूसरा बड़ा फैसला रू जमात-एइस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर 5 साल की पाबंदी का है। मोदी सरकार कश्मीर में सभी ऐसे गद्दारों की भी पहचान कर रही है, जो दुश्मन देश के साथ मिलकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। सरकार की सभी एजेंसियां अब ऐसे गद्दरों पर टूट पड़ी हैं। इसी सिलसिले में जमाते इस्लामी पर बैन करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जमाते इस्लामी यानि कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन। जमाते इसलामी ने ही हिजबुल मुजाहिद्दीन को पैदा किया है और हिजबुल के लिए आतंकी भर्ती करना, फंड का इंजताम करना उसका सबसे बड़ा काम है। एजेंसियों ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि आखिर जमाते इस्लामी के पास पैसा कहां से आता है, जो आतंकियों को देकर ये भारत में दहशतगर्दी कराता है। इस सभी के खिलाफ सरकार आतंकी कानून के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इनके खिलाफ कई सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं।

तीसरा बड़ा फैसला हूर्रियत नेताओं पर शिंकजा कसने का है। सरकार ने हूर्रियत नेताओं के खिलाफ दोबारा जांच शुरू की है। टेरर फंडिंग के केस में इसके कई बड़े नेताओं के यहां छापे पड़े हैं और कई सबूत मिले हैं। इसके अलावा पुलवामा आतंकी हमले में आतंकियों का साथ देने का शक भी इनके कई नेताओं पर है। जांच एजेंसी एनआईए मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अमित शाह ने गृह विभाग का कार्यभार संभालते ही सुरक्षा बलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आतंकवादियों के खात्मे का जो लक्ष्य दिया उसमें काफी सफलता मिल रही है। नित्यप्राति आतंकवादियों को घेरकर ऊपर पहुंचाया जा रहा है।

अलगाववादी संगठनों के सभी बड़े नेता बंद कर दिए गए हैं। उनको विदेशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता भी काफी हद तक रोक दी गयी। इसका अनुकूल असर भी दिखने लगा। बीते सप्ताह अमित शाह की कश्मीर घाटी यात्रा के दौरान अलगाववादी संगठनों द्वारा बंद या हड़ताल का आह्वान नहीं किया जाना भी इस बात का प्रामाण था कि सुरक्षा बलों के प्रायास रंग ला रहे हैं। यूं भी कश्मीर में विधानसभा का गठन उतना जरूरी नहीं जितना कि अलगाववादी ताकतों का सिर कुचलना है।

राज्यसभा में सरकार के लिए बहुमत जुटाना दिक्कत भरा था लेकिन विपक्ष ने समझदारी दिखाते हुए उसका साथ दिया। घाटी की जो राजनीतिक स्थिति है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि फारुख अब्दुल्ला आयु और महबूबा मुफ्ती जनाधार घटने की वजह से पहले जैसे प्राभावशाली नहीं रहे। गुलाम नबी आजाद दिल्ली में भले ही कुछ भी बोला करें लेकिन इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनका कोई असर नहीं है। ऐसे हालात में जम्मू-कश्मीर में चुनाव की जल्दबाजी करने की जगह आतंकवाद की जड़ों को नष्ट करने के मौजूदा अभियान को सफलता के चरम बिंदु तक ले जाने की जरूरत है। नेशनल काप्रोंस और पीडीपी जैसी स्थानीय पार्टियों को जरूर विधानसभा भंग होने से परेशानी हो रही होगी लेकिन कश्मीर के साथ ही दूरगामी राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर ये जरूरी हो गया है कि वहां की क्षेत्रीय ताकतों को निर्णय प्राक्रिया से दूर रखा जावे।

मौजूदा केंद्र सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी कश्मीर घाटी से भारत विरोधी ताकतों के सफाए की काफी कोशिशें कीं किन्तु राजनीति के चलते वह चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकी। ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी दूसरी पारी में कश्मीर समस्या के निर्णायक हल की तरफ बढ़ना चाहती है। धारा 370 हटाने को लेकर तो उसने अपने इरादे अभी तक व्यक्त नहीं किये लेकिन श्री शाह का संसद में ये स्पष्टीकरण काफी मायने रखता है कि वह अस्थायी धारा है। कश्मीर मसले को संरा संघ में ले जाने के पं नेहरू के फैसले पर भी गृहमंत्री के कटाक्ष सरकार की दिशा दर्शा रहे हैं। बहरहाल अब चूँकि संसद में राष्ट्रपति शासन का समय बढ़ाने की अनुमति सरकार को मिल गई है इसलिए एक अनिश्चित्तता समाप्त हो गयी।

कश्मीर देश के अन्य राज्यों से अलग है। इसलिए उसको लेकर जो नीति या निर्णय हो उसके पीछे राष्ट्रहित होना चाहिए। रही बात सियासत की तो उसके लिए इतना बड़ा देश पड़ा है। ये देखते हुए यदि वहां राष्ट्रपति शासन आगे भी जारी रखने से स्थिति सुधरती है तो केंद्र सरकार को जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। वैसे भी राज्यसभा में उसकी स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। एक खबर ये भी है कि घाटी के आतंकवाद प्राभावित क्षेत्रों में बचे हुए भारत विरोधी तत्वों के पूरी तरह से सफाए के बाद ही चुनाव की प्राक्रिया शुरू होगी। वैसे इस राज्य में विधानसभा को बहाल करने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी आतंकवादियों की जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ फैंकने की।